

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

पंचम(बजट) सत्र

संख्या-12

बुधवार, दिनांक-02 मार्च, 2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 4.03 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य पूर्व दिनों की भाँति पाँचवीं J.P.S.C. के प्रकाशित परीक्षाफल को रद्द कर सी.बी.आई. जाँच कराये जाने की माँग को लेकर अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये। कतिपय माननीय सदस्यों के हाथ में दैनिक अखबारों की प्रतियाँ भी थी। इस क्रम में वे सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। आसन द्वारा उनसे अपने स्थान पर बैठने हेतु आग्रह किया गया, लेकिन स्थिति यथावत् बनी रही। इस दौरान झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य श्री जगरनाथ महतो, श्री दीपक बिरूवा, कांग्रेस के श्री ईरफान अंसारी आदि माननीय सदस्य वेल में धरने पर भी बैठ गये।

आसन द्वारा माननीय विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे अपनी बात लिखित रूप में दें ताकि सदन में उस पर चर्चा करायी जा सके, लेकिन नारेबाजी एवं शोरगुल जारी रहा। आसन द्वारा एक बार पुनः माननीय नेता, प्रतिपक्ष से आग्रह किया गया कि वे माननीय सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बैठायें, लेकिन माहौल पूर्ववत् कायम रहा।

अतएव सदन में अव्यवस्था को देखते हुए सदन की कार्यवाही-11.07 बजे पूर्वा० से लेकर 12.10 बजे अप० तक के लिये स्थगित कर दी गई।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्व की भाँति विपक्ष के माननीय सदस्य J.P.S.C. के मामले पर पुनः सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। आसन द्वारा उन्हें बताया गया कि दलीय नेताओं के साथ हुई बैठकों में इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने पर सहमति हुई, तो चर्चा होनी चाहिये, लेकिन भारी शोरगुल जारी रहा तदुपरांत सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

1. शून्यकाल

पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल की सूचनाये पढ़ी गयी-

श्री नागेन्द्र महतो,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,
श्री केदार हजरा,

(कृपया पृष्ठ उल्टें)

श्री योगेश्वर महतो,
श्री ताला मराण्डी,
श्री नारायण दास,
श्री हरिकृष्ण सिंह,
श्री राज सिन्हा एवं

श्रीमती बिमला प्रधान। माननीय सदस्य, सर्वश्री अमित कुमार, विदेश सिंह, जय प्रकाश भाई पटेल, दशरथ गागराई, रवीन्द्रनाथ महतो, ईरफान अंसारी, साधु चरण महतो, बादल, अरुप चटर्जी एवं श्रीमती निर्मला देवी के सदन में नहीं रहने कारण उनके द्वारा शून्यकाल की सूचनायें नहीं पढ़ी जा सकी।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें तथा उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- i- माननीय सदस्य, श्री विकास कुमार मुण्डा द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया,
- ii- माननीय सदस्या, श्रीमती गंगोत्री कुजूर द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया,
- iii- माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया,
- iv- माननीय सदस्य, श्री नागेन्द्र महतो एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया,
- v- माननीय सदस्य, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया।

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं अन्य, श्रीमती गीता कोड़ा एवं अन्य, श्री मनोज कुमार यादव, श्री दशरथ गागराई एवं अन्य, श्री शशिभूषण सामाड़ एवं अन्य श्री राज कुमार यादव एवं अन्य, श्री योगेन्द्र प्रसाद एवं अन्य, श्री बादल एवं अन्य, श्री अरुप चटर्जी एवं अन्य, श्रीमती जोबा मांझी, श्री मनीष जयसवाल एवं माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी के सदन में उपस्थित नहीं रहने के कारण इनसे प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचनायें अपृष्ठ हुई।

3. सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

- i- माननीय सभापति, श्री अशोक कुमार द्वारा सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 30वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,
- ii- माननीय सभापति, श्री योगेश्वर महतो द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का 7वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

4. वित्तीय कार्य:-

श्री सरयू राय, माननीय मंत्री द्वारा "खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग" से सम्बन्धित मॉग पेश की गयी। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव, कुशवाहा शिवपूजन मेहता, श्री ईरफान अंसारी एवं श्री अरुप चटर्जी के सदन में उपस्थित नहीं रहने के कारण उनके द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-168 की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया जिसपर आसन द्वारा वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराया गया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर ने आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि माननीय पूर्व सदस्यों के लिए असाध्य रोगों में सरकारी सहायता का प्रावधान है,

P. T. O

लेकिन उनकी पत्नी अथवा आश्रित को यह सुविधा नहीं है। सरकार इसकी व्यवस्था करे। इसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संज्ञान में लिया गया और घोषणा की गयी कि सरकार पूर्व माननीय सदस्यों की पत्नियों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी।)

(अन्तराल)

5. वित्तीय कार्य (क्रमांक-4 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व “खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग” से सम्बन्धित पेश की गयी माँग पर वाद-विवाद प्रारंभ हुआ जिसमें निर्मांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया-

श्री राधाकृष्ण किशोर,

श्री राज सिन्हा,

श्री रामचन्द्र सहिस,

(माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र सहिस द्वारा जे.पी.एस.सी. एवं कर्मचारी चयन आयोग के सम्बन्ध में की गई पृच्छा के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री के नेतृत्व में परामर्शदातृ समिति का गठन किये जाने के निमित्त निर्णय लिया गया है जिसमें पक्ष तथा विपक्ष के माननीय सदस्य रहेंगे।)

श्री शिवशंकर उराँव,

श्री जानकी प्रसाद यादव एवं

श्री हरिकृष्ण सिंह।

6. सभा पटल पर कागजात का रखा जाना:-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री सरयू राय द्वारा “झारखण्ड विधान सभा विधायी शोध-सन्दर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग के गठन एवं कार्यविधि” की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी जिसे सभा की सहमति से कार्यवाही का अंग बनाया गया। इस सम्बन्ध में आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि इसे अधिसूचित कर सभी माननीय सदस्यों को एक-एक प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी।

7. वित्तीय कार्य (क्रमांक-5 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व “खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग” से सम्बन्धित पेश की गयी माँग पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा उत्तर दिया गया। इसके उपरांत “खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग” से सम्बन्धित माँग सदन द्वारा स्वीकृत हुई तदुपरांत सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक- 03 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिये स्थगित हुई।

राँची,

दिनांक- 02, मार्च, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।